संख्या- 26 /2016/यू0ओ0-48/एक-6-2016-रा0-6-05(घो0)/2015-
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-10

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल 2016**

विषय: जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु राजकीय आस्थान की (नान जेड0ए0) भूमि गाटा संख्या-753 मि0, क्षेत्रफल 0.405 हे0 अर्थात 4050 वर्गमीटर माध्यमिक शिक्षा विभाग को 90 वर्ष के पट्टे पर नि:शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, बिजनौर के पत्र संख्या-100/सात-भूलेख, डी0एल0आर0सी0 (बी-462) दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर के ग्राम फतेहउल्लापुर खास की पुराने तहसील भवन की राजकीय आस्थान (नान जेड0ए0) की भूमि गाटा संख्या-753 मि0, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर अर्थात 4050 वर्गमीटर भूमि, जिसका विवरण निम्नवत् है, अपरिहार्य परिस्थितियों में जनहित में सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003 एवं गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट 1895 के तहत श्री राज्यपाल महोदय जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग को 90 वर्ष के पट्टे पर नि:शुल्क दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

भूमि का विवरण

जनपद/तहसील	राजस्व ग्राम	भूखण्ड/गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4
बिजनौर/धामपुर	फतेहउल्लापुर खास	753 मि0	0.405 हे0 अर्थात 4050 वर्गमीटर

(1) प्रश्नगत प्रस्तावित भूमि जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु प्रथमत:90 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जायेगी, जिसे 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का प्राविधान होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) भूमि पर स्वामित्व राजस्व विभाग का ही बना रहेगा। इस भूमि का उपयोग जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। उक्त प्रयोजन समाप्त हो जाने पर या इससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर अथवा पट्टे की शर्तो का उल्लंघन होने पर भूमि पुन: राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी और पट्टा स्वत: समाप्त माना जायेगा।

(3) पट्टेदार द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से भूमि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था में बन्धक रखने के पूर्व शासन की लिखित अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(4) पटटा असंक्रमणीय होगा अर्थात पट्टेदार को पट्टा शुदा भूमि को किसी व्यक्ति/सस्था/संगठन आदि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(5) पट्टा-विलेख को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जायेगा और इस हेतु स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा ।

(6) भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

(7) पट्टा विलेख का निष्पादन गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट 1895 एवं सरकारी सम्पति के प्रबन्ध से सम्बन्धित नियमावली, 1987 यथा संशोधित नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा किया जायेगा।

2- कृपया तद्नुसार प्राथमिकता पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2016/यू0ओ0-48(1)/एक-6-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
4- जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।
5- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in